हेमंत गुप्ता और मोहिंदर पाल, न्यायमूर्ति

मोन अग्रोया,— याचिकाकर्ता

बनाम

नगर निगम चंडीगढ़ और अन्य,— प्रतिवादी

C.W.P. No. 8276 of 2006

25 अप्रैल, 2008

भारत का संविधान, 1950— अनुच्छेद 226— नगर निगम में ड्राइवरों के चयन और नियुक्ति में अनियमितताएं और अवैधताएँ–इसकी चुनौती–शैक्षिक योग्यता के लिए आवंटित अंक प्रतिवादियों द्वारा निरस्त किए गए– चयन समिति द्वारा चयनित उम्मीदवारों और कुछ अचयनित उम्मीदवारों के बीच ड्राइविंग परीक्षा और साक्षात्कार के लिए अंक देने में कोई अंतर नहीं–कुछ फिजिकल टेस्ट में असफल उम्मीदवारों को अपील पर पास घोषित किया गया–फिजिकल टेस्ट में असफल होने के बाद अपील दायर करने का कोई प्रावधान न होना और न ही विज्ञापन में इसका उल्लेख होना–एक बार चयन प्रक्रिया शुरू हो जाने पर निर्धारित चयन मापदंड को नहीं बदला जा सकता और न ही चयन के मानदंडों को परिवर्तित किया जा सकता है– ड्राइवरों की पूरी चयन प्रक्रिया को दोषपूर्ण माना गया–याचिकाएँ स्वीकृत और पूरा चयन रद्द किया गया।

यह अभिनिर्धारित किया है कि विभिन्न उम्मीदवारों को उनकी याचनाओं पर पुनः आयोजित शारीरिक परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई। उनमें से कुछ इसमें विफल रहे और कुछ उत्तीर्ण हुए। हमने 'ड्राइवरों के पदों के लिए उम्मीदवारों की परिणाम पत्रक' का भी अवलोकन किया और यह पता चला कि ड्राइविंग परीक्षा के लिए आवंटित 25 अंकों में, चयन समिति द्वारा चयनित उम्मीदवारों और कुछ ऐसे उम्मीदवारों को दिए गए अंकों में ज्यादा अंतर नहीं है जो चयनित नहीं किए गए थे। इसी प्रकार, साक्षात्कार के लिए आवंटित 15 अंकों के प्रदान में भी चयनित और कुछ चयनित नहीं किए गए उम्मीदवारों के बीच ज्यादा अंतर नहीं है।

(पैरा 20)

इसके आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार उम्मीदवार शारीरिक परीक्षा में विफल हो जाने के बाद, अपील दाखिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। विज्ञापन में अपील दाखिल करने के बारे में कुछ भी उल्लेखित नहीं किया गया था। यह स्पष्ट रूप से योग्य उम्मीदवारों को नजरअंदाज करके पसंद के उम्मीदवारों को चुनने के लिए किया गया है।यह न केवल सुस्थापित कानून का उल्लंघन है कि एक बार चयन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, निर्धारित चयन मानदंड को बदला नहीं जा सकता है और न ही चयन के मानदंडों में बदलाव किया जा सकता है, बल्कि उम्मीदवारों के शारीरिक परीक्षण में असफल होने के बाद ऐसा किया गया था।

(***पैरा 29)***

गुंजन मेहता, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए।

लीजा गिल, अधिवक्ता, 1 से 3 प्रतिवादियों के लिए ।

आर.के. मलिक, वरिष्ठ अधिवक्ता, निगम भारद्वाज, अधिवक्ता के साथ, 4 से 17 प्रतिवादियों के लिए

Civil Writ Petition No. 10275 of 2006

कपिल,—याचिकाकर्ता

बनाम

नगर निगम, चंडीगढ़, इसके आयुक्त के माध्यम से और अन्य,—प्रतिवादी

अनिल राठी, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए।

संजीव घाई, अधिवक्ता, 1 से 2 प्रतिवादियों के लिए।

आर.के. मलिक, वरिष्ठ अधिवक्ता, निगम भारद्वाज, अधिवक्ता के साथ, 3 से 7 प्रतिवादियों के लिए

Civil Writ Petition No. 13365 of 2006

बलजिंदर सिंह,—याचिकाकर्ता

बनाम

नगर निगम, चंडीगढ़, इसके आयुक्त के माध्यम से और अन्य,—प्रतिवादी

एन. के. नागर, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए।

लीजा गिल अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए कोई नहीं।

1. इस सामान्य निर्णय द्वारा, उपरोक्त तीन सिविल रिट याचिकाओं का निस्तारण किया जा रहा है क्योंकि उनमें की गई चुनौती, नगर निगम, चंडीगढ़ की अग्नि शाखा/ फायर विंगमें ड्राइवरों के चयन और नियुक्तियों से संबंधित है (जिसे आगे 'निगम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा), जो कि विज्ञापन (सभी तीन रिट याचिकाओं में अनुलग्नक पी-1) के जवाब में किया गया था।
2. प्रत्येक रिट याचिका में निर्धारित तथ्य निम्नलिखित हैं।

Civil Writ Petition No. 8276 of 2006

3. नगर निगम, चंडीगढ़ (प्रतिवादी संख्या 1) ने अपनी फायर विंग के लिए पंद्रह पदों पर ड्राइवरों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे थे,—विज्ञापन दिनांक 30 जुलाई, 2005 के अनुसार। याचिकाकर्ता, जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, ने इसके लिए आवेदन किया था। पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों की श्रेणी के लिए पाँच पद आरक्षित किए गए थे। यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता एक उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने अपनी डिग्री बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स और ह्यूमैनिटीज पूरी करते हुए नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लिया, जो कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (एक कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स) से प्राप्त की गई थी। इस संबंध में, याचिकाकर्ता ने प्रमाण पत्र अनुलग्नक P-3 के रूप में रिकॉर्ड पर रखा है। उन्होंने जुलाई, 1998 में बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की डिग्री द्वितीय श्रेणी में प्राप्त करते हुए पूरी की। डिग्री की प्रति अनुलग्नक P-3 के रूप में रिकॉर्ड पर रखी गई है। याचिकाकर्ता ने जुलाई, 1998 में बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की डिग्री द्वितीय श्रेणी से पूरी की। डिग्री की प्रतिलिपि अनुलग्नक P-4 के रूप में रिकॉर्ड पर दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता ने एम.एस.

ऑफिस और इंटरनेट से कंप्यूटर शिक्षा में डिप्लोमा भी पूरा किया है, जो हरियाणा शिक्षा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है। इस संबंध में प्रमाणपत्र अनुलग्नक P-5 के साथ याचिका में दिया गया है। याचिकाकर्ता ने ड्राइविंग का प्रशिक्षण हरियाणा पथ परिवहन के केंद्रीय कार्यशाला, हिसार में स्थित ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल से 1 दिसंबर, 1988 से 31 दिसंबर, 1998 तक प्राप्त किया, जैसा कि हरियाणा पथ परिवहन के महाप्रबंधक (तकनीकी), हरियाणा पथ परिवहन, केंद्रीय कार्यशाला, हिसार द्वारा जारी प्रमाणपत्र (अनुलग्नक पी-6) में बताया गया है। इस प्रमाणपत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता ने हरियाणा परिवहन के वाहनों के ड्राइविंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को संतोषजनक ढंग से पूरा किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (भारत सरकार का उद्यम) के अंतर्गत पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के मुख्य/क्षेत्रीय समन्वयक द्वारा जारी प्रमाणपत्र (अनुलग्नक पी-7 के अनुसार, याचिकाकर्ता ने कुशल ड्राइविंग तकनीकों और डीजल संरक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक पूरा किया। याचिकाकर्ता भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों को चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस का धारक है। उन्होंने 12 जनवरी, 1999 से 8 अक्टूबर, 2003 तक हिसार में स्थित गोदारा बस सेवा के साथ एक बस चालक के रूप में स्थानीय मार्गों पर काम किया। वर्तमान में, वह हरियाणा पथ परिवहन में अनुबंध के आधार पर एक ड्राइवर के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें लंबी दूरी के यात्री आधारों पर तैनात किया गया है और वह चंडीगढ़-हिसार-चंडीगढ़ के बीच ड्राइविंग कर रहे हैं। गोदारा बस सेवा, हिसार द्वारा जारी प्रमाणपत्र अनुलग्नक P-9 के रूप में और हरियाणा पथ परिवहन, चंडीगढ़ के महाप्रबंधक द्वारा जारी प्रमाणपत्र अनुलग्नक P-6 के रूप में याचिका के साथ संलग्न है।

4. याचिका में यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता का साक्षात्कार श्री एच. एस. कंधोला, पी.सी.एस., संयुक्त आयुक्त-कम-सचिव, जिन्हें निगम (प्रतिवादी संख्या 3) के मुख्य अग्निशमन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था, के द्वारा किया गया था। साक्षात्कार के समय, कोई भी तकनीकी व्यक्ति सहयोगी नहीं था और साक्षात्कार समिति केवल एक व्यक्ति अर्थात् प्रतिवादी संख्या 3 से ही संबंधित थी। ड्राइविंग परीक्षण भी केवल एक चालक और एक लिपिक की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। विभिन्न ड्राइविंग कौशलों के लिए अलग-अलग अंक निर्धारित करने की कोई प्रक्रिया नहीं बनाई गई थी। योग्य और गुणवत्ता संपन्न उम्मीदवारों का चयन करने के उद्देश्य से कोई मापदंड अपनाया नहीं गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने ड्राइविंग परीक्षा और साक्षात्कार में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था।

5. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि पिछड़े वर्गों के आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत चयनित कोई भी उम्मीदवारों के पास खेलों में भाग लेने का प्रमाण पत्र नहीं था। याचिकाकर्ता ही एकमात्र उम्मीदवार था जिसके पास स्नातक की डिग्री थी। गुरविंदर सिंह (प्रतिवादी संख्या 10), जिन्हें याचिकाकर्ता की श्रेणी के अंतर्गत चुना गया था, केवल 8वीं पास हैं। राकेश कुमार (प्रतिवादी संख्या 11), एक अन्य चयनित उम्मीदवार, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग ('ओ.बी.सी.') से संबंधित हैं, मैट्रिक पास हैं। हरि केश (प्रतिवादी संख्या 12), ओ.बी.सी. से संबंधित चयनित उम्मीदवार, केवल मिडिल पास हैं और वह भी केवल मिडिल पास है और याचिकाकर्ता द्वारा भारी वाहनों की चालन के अनुभव की तुलना में उनके पास कोई अनुभव नहीं है।

6. यह भी दलील दी गई है कि प्रश्नगत पदों के लिए अयोग्य और अनुभवहीन उम्मीदवारों को चुनने का एकमात्र कारण यह है कि श्री एच.एस. कंधोला (प्रतिवादी संख्या 3) के भाई, अर्थात् श्री हरबंस सिंह खंडोला, जो एक स्थानीय राजनेता हैं, गांव भगवंतपुरा, जिला रोपड़ के निवासी हैं, उनके क्षेत्र के लोगों की नियुक्तियों में रुचि रखते थे। चयनित पंद्रह उम्मीदवारों में से आठ रोपड़ जिले से संबंधित हैं, सोहनजीत मोहन (प्रतिवादी संख्या 8), तरजीत सिंह (प्रतिवादी संख्या 9), जंग बहादुर (प्रतिवादी संख्या 15) स्वयं गांव भगवंतपुरा के हैं और गुरविंदर सिंह (प्रतिवादी संख्या 10), परदीप कुमार (प्रतिवादी संख्या 13) और दलजीत सिंह (प्रतिवादी संख्या 16) रोपड़ जिले से हैं। यह भी दावा किया गया है कि परदीप कुमार (प्रतिवादी संख्या 13) विज्ञापन में निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा नहीं करते थे। उनका छाती का माप

विज्ञापन के अनुसार आवश्यकता से कहीं कम है। याचिकाकर्ता ने 15 अप्रैल, 2006 को नगर निगम के आयुक्त को दिए गए प्रतिनिधित्व (अनुलग्नक पी-11) में फायर ब्रिगेड ड्राइवरों के चयन में की गई अनियमितताओं को उजागर किया। हालांकि, उनके प्रतिनिधित्व पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

7. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा दायर लिखित बयानों में, यह अभ्यावेदन किया गया है कि चयन उस समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया था, जिसमें गृह सचिव-सह-सचिव, स्थानीय सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन, इसके अध्यक्ष के रूप में, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त और गृह, चंडीगढ़ प्रशासन के संयुक्त सचिव, इसके सदस्य के रूप में शामिल थे, जिसकी बैठक 6 मई, 2005 को आयोजित की गई थी। याचिकाकर्ता को 10 जनवरी, 2008 को शारीरिक परीक्षण में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया था। चालकों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाया गया था:

   1) ड्राइविंग परीक्षण के लिए अंक (समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाना) - 25 अंक

   2) मोटर/डीजल मैकेनिज़्म का ज्ञान रखने के लिए अंक, जो मामूली मरम्मत के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/पॉलिटेक्निक से प्राप्त प्रमाणपत्र या डिप्लोमा के आधार पर है - 5 अंक

   3) खेल-व्यक्ति के लिए महत्व अंक जो स्थान प्राप्त कर चुके हों:
   - राज्य स्तर पर - 1 अंक
   - राष्ट्रीय स्तर पर - 3 अंक
   - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर - 5 अंक

   4) साक्षात्कार के लिए अंक - 15 अंक

   - कुल अंक - 50 अंक

8. ड्राइवर के पद के लिए शारीरिक फिटनेस मानक निम्नलिखित हैं:

   अ) ऊँचाई - 5 फुट 5 इंच
   ब) छाती - 33.5 इंच बिना फैलाव के और 1.5 इंच के फैलाव के साथ।
   स) दृष्टि - दोनों आँखें बिना चश्मे के 6/6।

   शारीरिक फिटनेस की आवश्यकताएँ निम्नलिखित हैं:
   अ) एक मिनट में 60 किलोग्राम वजन के साथ 100 यार्ड की दूरी तक दौड़ना।
   ब) हुक सीढ़ी को 3री और 6ठी राउंड में ऊर्ध्वाधर स्थिति में उठाना।
   स) जमीन से 8-10 फुट की ऊँचाई तक रस्सी या ऊर्ध्वाधर पाइप पर चढ़ना।

9. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से दाखिल लिखित वक्तव्य में यह भी दलील दी गई है कि प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों के साथ परीक्षण/साक्षात्कार में भाग लेने के बाद और प्रशासन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कम अंक प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ता अब चयनित न होने का कोई शिकवा नहीं कर सकते हैं। याचिकाकर्ता ने न तो राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया था और न ही वह किसी राज्य/ राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वाला था। इसलिए, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार, याचिकाकर्ता को कोई भी वेटेज नहीं दिया जा सकता था क्योंकि उन्होंने केवल उत्तर क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय स्तर पर ही भाग लिया था। आगे अधिकारी प्रतिवादियों का मामला यह है कि चूंकि ड्राइवरों के पदों के लिए निर्धारित योग्यता "केवल मध्य परीक्षा पास" थी, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अनुमोदित मानदंडों के मद्देनजर, अतिरिक्त योग्यताओं के लिए कोई वजन नहीं

दिया जा सकता था। यह भी दावा किया गया है कि–3 फरवरी, 2006 को जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, ड्राइवरों के पदों के उम्मीदवारों की ड्राइविंग परीक्षण/साक्षात्कार करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, चंडीगढ़ के संयुक्त आयुक्त, चंडीगढ़ प्रशासन के सामाजिक कल्याण निदेशक, चंडीगढ़ क्षेत्र के सैनिक कल्याण निदेशक, एफएस-32 के स्टेशन फायर ऑफिसर, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, चंडीगढ़ के उप-मंडल इंजीनियर (मैकेनिकल) की एक समिति का गठन किया गया था। यह आरोप कि चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जॉइंट कमिश्नर (प्रतिवादी संख्या 3) एक-व्यक्ति साक्षात्कार समिति का नेतृत्व कर रहे थे, इसे नकारा गया है। यह दावा किया गया है कि चयन पूरी तरह से प्रशासन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया था और किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हुई थी। ड्राइविंग परीक्षण, जिसमें अधिकतम 25 अंक थे, अलग से मिस्टर गुरिंदर सिंह, उप-मंडल इंजीनियर और मिस्टर एस.के. गोसाईन, स्टेशन फायर ऑफिसर द्वारा, एक पृथक प्रशिक्षित ड्राइवर की सहायता से किए गए थे। याचिकाकर्ता का नाम ओ.बी.सी. से संबंधित पहले पांच उम्मीदवारों में नहीं था। चूँकि वह स्थान संख्या 8 पर थे, इसलिए वह सफल नहीं हुए। यह भी दावा किया गया है कि कुल 73 उम्मीदवारों में से जिन्होंने साक्षात्कार में भाग लिया, केवल 17 उम्मीदवार रोपड़ जिले के थे। 15 चयनित उम्मीदवारों में से, 5 रोपड़ जिले से संबंधित हैं। यह एक संयोग की बात है और चयन समिति के किसी भी सदस्य की ओर से किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे का परिणाम नहीं है। यह इनकार किया गया है कि प्रदीप कुमार (प्रतिवादी संख्या 13) ने निर्धारित शारीरिक मानक को पूरा नहीं किया था। उनकी छाती का नाप 33-3/4 इंच (बिना फैलाए) और 35 इंच फैलाव के बाद था।

10. प्रतिवादी संख्या 4 से 17 द्वारा दायर लिखित वक्तव्य में, यह दावा किया गया है कि चयन समिति के निर्णय में केवल सीमित आधारों पर हस्तक्षेप किया जा सकता है, जैसे कि अवैधता या स्पष्ट सामग्री अनियमितता। वर्तमान मामले में, चयन समिति में स्टेशन फायर ऑफिसर और उप-मंडल इंजीनियर (मैकेनिकल) जैसे विशेषज्ञ भी शामिल थे और समिति ने उम्मीदवारों के तुलनात्मक योग्यता का आकलन करने के बाद उम्मीदवारों का चयन किया। इसलिए, रिट प्रक्रिया में उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता का पुनर्मूल्यांकन करके चयन को अलग करना स्वीकार्य नहीं होगा।

Civil Writ Petition No. 10275 of 2006

11. इस मामले में, याचिकाकर्ता, जो सामान्य श्रेणी से संबंधित है, को 10 जनवरी, 2006 को शारीरिक परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए बुलाया गया था। याचिका में दावा किया गया है कि जिन उम्मीदवारों ने शारीरिक परीक्षा पास की, उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा गया और जिन्होंने परीक्षा पास नहीं की, उनमें प्रतिवादी संख्या 3 तरणजीत सिंह और प्रतिवादी संख्या 4 तरजीत सिंह शामिल थे, उन्हें जाने के लिए कहा गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता को 22 फरवरी, 2006 को ड्राइविंग परीक्षा और साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। उसके अनुसार, उसने ड्राइविंग परीक्षा और साक्षात्कार में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि श्री एच.एस. खंडोला, पी.सी.एस., संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, चंडीगढ़ (प्रतिवादी संख्या 2) एकल-सदस्यीय चयन समिति के प्रमुख थे। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि सोहनजीत मोहन (प्रतिवादी संख्या 6), जो मेडिकली अनफिट थे और खराब दृष्टि के कारण ड्राइविंग परीक्षा में असफल रहे, उन्हें भी नियुक्ति दी गई। चूंकि याचिकाकर्ता का चयन उस पद के लिए नहीं हुआ था और उसके अनुसार, प्रतिवादी संख्या 3 से 7, जो उससे कम योग्यता वाले थे, उन्हें चुना गया, इसलिए उसने वर्तमान रिट याचिका दायर की।

12. प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा दायर लिखित वक्तव्य में, यह दलील लेने के अलावा कि चयन समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया था जिसमें गृह सचिव-सह-सचिव, स्थानीय सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन के अध्यक्ष के रूप में, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम और संयुक्त सचिव, गृह, चंडीगढ़ प्रशासन, उसके सदस्यों के रूप में 6 मई, 2005 को हुई बैठक में शामिल थे, यह इनकार किया गया था

कि प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने शारीरिक परीक्षा पास नहीं की थी। चयन समिति के गठन के संबंध में, सिविल रिट याचिका संख्या 8276 की 2006 में दी गई प्रतिक्रिया में लिया गया समान दलील लिया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा लगाया गया आरोप कि प्रतिवादी संख्या 2 एकल-सदस्यीय साक्षात्कार समिति के प्रमुख थे, का खंडन किया गया था।

13. यह और भी अर्ज किया गया है कि याचिकाकर्ता को प्रतीक्षा सूची में संख्या 1 पर रखा गया था क्योंकि उसने साक्षात्कार में 29-1/2 अंक प्राप्त किए थे। हालांकि तैजीत सिंह (प्रतिवादी संख्या 4) और परमजीत सिंह (प्रतिवादी संख्या 5) ने भी साक्षात्कार में 29-1/2 अंक प्राप्त किए थे, लेकिन चूंकि वे याचिकाकर्ता से उम्र में बड़े थे, इसलिए उन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार चुना गया था। सोहनजीत मोहन (प्रतिवादी संख्या 6) की चिकित्सा योग्यता के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि ज्वाइनिंग के समय उन्होंने प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, जनरल हॉस्पिटल, सेक्टर 16, चंडीगढ़ (अनुलग्नक R-3) द्वारा जारी चिकित्सा योग्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था। यह और भी अर्ज किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा की और परीक्षा/साक्षात्कार में भाग लिया और प्रशासन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कम अंक प्राप्त किए, अब चयन न होने का कोई शिकवा नहीं कर सकते, खासकर जब इस याचिका में चयन समिति द्वारा अपनाए गए मानदंडों को चुनौती नहीं दी गई है|

14. प्रतिवादियों संख्या 3 से 7 की ओर से दायर लिखित बयान में, याचिकाकर्ता द्वारा की गई आपत्ति कि प्रतिवादियों संख्या 3 और 4 ने शारीरिक परीक्षा पास नहीं की थी, का खंडन किया गया है। इसके अलावा यह भी खंडन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 6 चिकित्सकीय रूप से योग्य नहीं है|

15. याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादियों संख्या 1 और 2 के लिखित बयान के उत्तर में दायर प्रतिकृति में, रिट याचिका में ली गई दलीलों को पुनरावृत्ति करते हुए, याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में जनरल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र (अनुबंध R-3) के दृष्टिगत, प्रतिवादी संख्या 6 को नौकरी के लिए चिकित्सकीय रूप से योग्य नहीं कहा जा सकता है। यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 3, 4 और 6 को पहले ही प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था और वे चंडीगढ़ फायर ब्रिगेड में कार्यरत थे। वे उसी क्षेत्र से संबंधित हैं जिससे कि प्रतिवादी संख्या 3 संबंधित है।

Civil Writ Petition No. 13365 of 2006:

16. याचिकाकर्ता बलजिन्दर सिंह एक पूर्व-सैनिक हैं। उन्होंने सेना में एक ड्राइवर के रूप में 16 वर्ष, 8 महीने और 5 दिन तक सेवा की है। वह M. Cycle/LMV/MMV/HMV के लिए ड्राइविंग लाइसेंस धारण करते हैं। उन्होंने ड्राइवर के पद के लिए विज्ञापन (अनुबंध P-1) के जवाब में आवेदन किया। उन्हें शारीरिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया और उन्हें सफल घोषित किया गया। इसके बाद, उन्हें ड्राइविंग परीक्षा और साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह पूर्व-सैनिकों की आम श्रेणी के ड्राइवरों की योग्यता सूची में संख्या 1 पर खड़ा था, जबकि प्रतिवादी संख्या 2, जो याचिकाकर्ता की श्रेणी का अन्य उम्मीदवार था, सड़क के किनारे पर चलने के कारण रोड परीक्षा में असफल हो गया। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 2 का चयन किया गया और उन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा गया। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसका न चुना जाना और प्रतिवादी संख्या 2 का चयन मनिपुलेशन का परिणाम है।

17. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दाखिल लिखित बयान में, पूर्व में उल्लिखित दो रिट याचिकाओं में लिए गए समान स्टैंड के अनुसार, समिति द्वारा 6 मई, 2005 को आयोजित बैठक में, जिसके अध्यक्ष होम सेक्रेटरी-कम-सेक्रेटरी, लोकल सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम और संयुक्त सचिव, होम,

चंडीगढ़ प्रशासन थे, उनके द्वारा निर्धारित मानदंडों के संबंध में समान रुख अपनाया गया है। चयन समिति के गठन के संबंध में, 2006 की सिविल रिट याचिका संख्या 8276 और 2006 की सिविल रिट याचिका 10275 में दाखिल जवाबों में ली गई समान याचिका को अपनाया गया है। यह और भी तर्क दिया गया है कि मेरिट सूची में कोई भी हेरफेर/छेड़छाड़ नहीं की गई थी।यह और तर्क दिया गया है कि मेरिट सूची में किसी भी प्रकार की हेरफेर/तोड़-मरोड़ नहीं की गई थी। चयन सूची को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार और प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा ड्राइविंग परीक्षा और साक्षात्कार में दिखाए गए प्रदर्शन के अनुसार सख्ती से मेरिट पर तैयार की गई थी। चयन समिति द्वारा आयोजित ड्राइविंग परीक्षा और साक्षात्कार में याचिकाकर्ता ने 50 में से 33.5 अंक प्राप्त किए, जबकि प्रतिवादी संख्या 2, सफल उम्मीदवार ने 35 अंक प्राप्त किए। इस बात से इनकार किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 ड्राइविंग परीक्षा में असफल रहा। प्रतिवादी संख्या 2 ने विशेष रूप से पूर्व-सैनिकों (सामान्य श्रेणी) के लिए आयोजित ड्राइविंग परीक्षा में 23 अंक प्राप्त किए, जबकि याचिकाकर्ता ने 23-1/2 अंक प्राप्त किए।

18. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों की बात सुनी है और नगर निगम के प्रतिनिधि विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत मूल रिकॉर्ड का परीक्षण किया है।

19. विज्ञापन (अनुबंध पी-1) के अनुसार चालक पद के लिए निर्धारित योग्यताएं यह हैं कि उम्मीदवार को मिडिल स्टैंडर्ड परीक्षा पास करनी चाहिए और फायर सर्विस से पहले पांच वर्ष से अधिक समय तक भारी वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए और वाहनों और अन्य फायर सर्विस उपकरणों की मरम्मत का अनुभव होना चाहिए। इस विज्ञापन के अनुसार चालक पद के लिए आवश्यक शारीरिक मानक हैं - ऊँचाई 5-5 फीट, छाती का माप 33-1/2 इंच और दोनों आँखों की दृष्टि बिना चश्मे के 6/6 होनी चाहिए। इसके अलावा यह निर्धारित है कि उम्मीदवार को 60 किलोग्राम वजन के साथ 100 गज की दूरी एक मिनट में दौड़कर पार करना होगा, हुक लैडर को 3रे और 6ठे दौर से ऊर्ध्वाधर स्थिति तक उठाने में सक्षम होना चाहिए, और जमीन से 8 से 10 फीट की ऊंचाई तक रस्सी/ऊर्ध्वाधर पाइप चढ़ सकने में सक्षम होना चाहिए।

20. हमने ड्राइवरों के पदों के लिए फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाए गए सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों की मूल सूची का अवलोकन किया है और पाया कि विभिन्न उम्मीदवारों को उनकी अपील पर पुन: आयोजित फिजिकल टेस्ट में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। इनमें से कुछ असफल रहे और कुछ पास हो गए। हमने 'ड्राइवरों के पदों के लिए उम्मीदवारों की रिजल्ट शीट' का भी अवलोकन किया और इससे पता चला कि ड्राइविंग टेस्ट के लिए आवंटित 25 अंकों में, चयन समिति द्वारा चयनित उम्मीदवारों और कुछ अचयनित उम्मीदवारों को दिए गए अंकों में ज्यादा अंतर नहीं है। इसी प्रकार, साक्षात्कार के लिए आवंटित 15 अंकों में चयनित और कुछ अचयनित उम्मीदवारों के बीच भी ज्यादा अंतर नहीं है।

21. "चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंक निम्नलिखित हैं:"

क्र. सं.	उम्मीदवार का नाम	श्रेणी	ड्राइविंग टेस्ट में प्राप्त अंक (15 में से)	साक्षात्कार में प्राप्त अंक (25 में से)	कुल अंक
1	शक्ति सिंह	सामान्य श्रेणी	23	09	32
2	जसबीर सिंह	सामान्य श्रेणी	19	12	31
3	राकेश त्यागी	सामान्य श्रेणी	21-1/2	09	30-1/2
4	तरणजीत सिंह	सामान्य श्रेणी	20	10-1/2	30-1/2
5	सोहनजीत मोहन	सामान्य श्रेणी	13	12	25* नोट:— सोहनजीत मोहन को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा धारक होने के लिए 5 अंक दिए गए हैं।
6	तैजीत सिंह	सामान्य श्रेणी	19-1/2	10	29-1/2
7	परमजीत सिंह सैनी	सामान्य श्रेणी	20-1/2	09	29-1/2
8	बलजीत सिंह	ई.एस.एम. श्रेणी	21-1/2	08	29-1/2
9	सतनाम सिंह	सामान्य श्रेणी	19	10	29
10	जंग बहादुर	अनुसूचित जाति श्रेणी	9-1/2	17	26-1/2
11	गुरविंदर सिंह	ओ.बी.सी. श्रेणी	24	08	32

क्र. सं.	उम्मीदवार का नाम	श्रेणी	ड्राइविंग टेस्ट में प्राप्त अंक (15 में से)	साक्षात्कार में प्राप्त अंक (25 में से)	कुल अंक
12	राकेश कुमार	ओ.बी.सी. श्रेणी	22-1/2	08	30-1/2
13	हरि केश	ओ.बी.सी. श्रेणी	21-1/2	07	28-1/2
14	प्रदीप कुमार	ओ.बी.सी. श्रेणी	19-1/2	08	27-1/2
15	राकेश कुमार	ओ.बी.सी. श्रेणी	18-1/2	06	24-1/2

22. यहां उल्लेखनीय है कि आधिकारिक प्रतिवादियों ने 'म्युनिसिपल कमेटी द्वारा तैयार की गई चयन की मानदंड' को साथ में 27 जुलाई, 2005 के पत्र के साथ संलग्न किया है जो सभी तीन रिट याचिकाओं में Annexure R-1 के रूप में संलग्न है, जिसमें अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यताओं के लिए 5 अंक आवंटित किए गए हैं और माध्यमिक स्तर की आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के लिए 10 अंक हैं। हालांकि, शैक्षणिक योग्यताओं के लिए आवंटित अंकों को हटा दिया गया था,—12 जनवरी, 2006 को (सभी तीन रिट याचिकाओं में Annexure R-2 के रूप में)। अजीब बात यह है कि जैसा कि ऊपर देखा गया है, सोहनजीत मोहन (2006 की सिविल रिट याचिका 10275 में प्रतिवादी संख्या 6) को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट/पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा धारक होने की अतिरिक्त योग्यता के लिए 5 अंक दिए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न उम्मीदवारों का पूरा रिकॉर्ड और डेटा प्राप्त करने के बाद जिनमें से चयन समिति द्वारा चयन किया जाना था, शैक्षणिक योग्यताओं के लिए अंक हटा दिए गए थे। शीर्ष अदालत ने **सचिव, ए.पी. पब्लिक सर्विस कमीशन बनाम बी. स्वप्ना और अन्य**[1] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि एक बार चयन प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद, निर्धारित चयन मानदंड नहीं बदला जा सकता है न ही चयन के मानदंडों को पूर्व में दिए गए **महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य बनाम राजेंद्र भीमराव मांडवे और अन्य**[2] के निर्णय के संदर्भ में देखा जा सकता है

23. जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, 30 जुलाई 2005 की विज्ञापन के अनुसार, उम्मीदवारों की दृष्टि बिना चश्मे के 6/6 होनी चाहिए। किंतु, चिकित्सा प्रमाण पत्र (अनुलग्नक R-3) के अनुसार, सोहनजीत मोहन (प्रतिवादी क्रमांक 6) को 'नौकरी के लिए उपयुक्त' घोषित किया गया है, परंतु उनकी दृष्टि बिना चश्मे के 6/6 नहीं

[1] 2005 (2) R.S.J.704
[2] 2001 (10) S.C.C. 51

बताई गई है क्योंकि डॉक्टर ने उनकी दृष्टि को "6/6 C और 6/9 C" के रूप में उल्लेखित किया है, जो कि चश्मे के साथ दृष्टि को दर्शाता है। इस प्रकार, चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त होने के बावजूद, सोहनजीत मोहन (प्रतिवादी क्रमांक 6) का चयन किया गया है। सोहनजीत मोहन (प्रतिवादी क्रमांक 6) ने स्वयं की चिकित्सकीय जाँच सरकारी अस्पताल, कुराली से भी करवाई थी,—जिसका चिकित्सा प्रमाण पत्र अनुलग्नक R- 5/1 है जिसे इस अदालत की 21 जनवरी 2008 को पारित नागरिक विविध प्रकरण संख्या 815 के 2008 के आदेश द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया था। यह चिकित्सा प्रमाण पत्र उनकी दृष्टि बिना चश्मे के दोनों आँखों के लिए 6/6 दर्शाता है। एक अन्य चिकित्सा प्रमाण पत्र अनुलग्नक R-5/2 के रूप में रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया गया है, जिसे डॉ. कमलजीत सिंह पन्नू द्वारा पन्नू नेत्र अस्पताल, रोपड़ में जारी किया गया है, जिन्होंने सोहनजीत मोहन (प्रतिवादी क्रमांक 6) की दृष्टि परीक्षा के बाद उनकी दृष्टि बिना चश्मे के दोनों आँखों के लिए 6/6 के रूप में राय दी है। परिस्थितियों के अधीन, हालांकि हम नेत्र विशेषज्ञों की राय पर अपील करना पसंद नहीं करेंगे, परंतु यह सोहनजीत मोहन की चिकित्सकीय उपयुक्तता के बारे में संदेह पैदा करता है विशेषकर जब विज्ञापन (अनुलग्नक P-1) के अनुसार उम्मीदवारों की दृष्टि बिना चश्मे के दोनों आँखों के लिए 6/6 होनी चाहिए क्योंकि उन्हें निगम की फायर विंग में काम करना है।

24. 2006 की सिविल रिट याचिका 10275 में, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 3 तरणजीत सिंह और प्रतिवादी क्रमांक 4 तरजीत सिंह ने शारीरिक परीक्षा पास नहीं की थी। हालाँकि, यह तथ्य आधिकारिक प्रतिवादियों द्वारा उनके लिखित वक्तव्य में नकारा गया है।

25. 'फायर विंग, नगर निगम, चंडीगढ़ में ड्राइवरों के पदों के लिए शारीरिक परीक्षा हेतु आहूत सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों की सूचियों' का अवलोकन किया गया है। प्रतिवादी संख्या 4 तैजीत सिंह (सामान्य वर्ग), जिनका रोल नंबर 94 था, अपील पर पास घोषित किया गया है। उन्होंने 10 जनवरी, 2006 को अपील दायर की, जो नीचे दी गई है:—

> संयुक्त आयुक्त,
> नगर निगम,
> चंडीगढ़।
>
> **विषय:—दौड़ के खिलाफ अपील**।
>
> मैं दौड़ने के परीक्षण के कारण अस्वीकृत किया गया है। मैं इस मापदंड से सहमत नहीं हूँ। इसलिए, मैं आपके विचारणीयता के लिए यहां मेरी अपील प्रस्तुत कर रहा हूँ।"
>
> अपील पर , निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है:—
>
> "**अपील का निपटान।**
> उपरोक्त उम्मीदवार की पुनः परीक्षा की गई है और परिणाम निम्नानुसार है:—
> दौड़ने का परीक्षण:—30-.15 पास।
> (अधिकारियों के हस्ताक्षर)"

26. इसी प्रकार, तरणजीत सिंह (2006 की सिविल रिट याचिका संख्या 10275 में प्रतिवादी क्रमांक 3), सामान्य वर्ग से संबंधित, जिनका रोल नंबर 258 था, अपील पर पास घोषित किया गया है। याचिकाकर्ताओं का यह आरोप कि प्रतिवादी क्रमांक 3 तरणजीत सिंह और प्रतिवादी क्रमांक 4 तरजीत सिंह ने शारीरिक

परीक्षा पास नहीं की थी, इस प्रकार सही है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जंग बहादुर (रोल नं. 387), एक अन्य चुने गए उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं और 2006 की सिविल रिट याचिका संख्या 8276 में प्रतिवादी क्रमांक 15 हैं, उन्होंने भी शारीरिक परीक्षण में असफलता प्राप्त की थी और अपील पर पास घोषित किया गया था। शारीरिक परीक्षण में असफल हो जाने के बाद अपील दाखिल करने का कोई प्रावधान नहीं था। विज्ञापन (अनुलग्नक P-1) में अपील दाखिल करने के बारे में कुछ भी उल्लेखित नहीं था। यह स्पष्ट रूप से पात्र लोगों की उपेक्षा करके पसंदीदा उम्मीदवारों को चुनने के लिए किया गया था। यह न केवल सुस्थापित कानून का उल्लंघन है कि एक बार चयन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, निर्धारित चयन मानदंड को बदला नहीं जा सकता है और न ही चयन के मानदंडों में बदलाव किया जा सकता है, बल्कि उम्मीदवारों के शारीरिक परीक्षण में असफल होने के बाद ऐसा किया गया था।

27. पुनरावृत्ति का जोखिम उठाते हुए इसे उल्लेखित करना आवश्यक है कि पहले, नगर निगम चंडीगढ़ द्वारा निर्धारित चयन के मानदंड (तीनों रिट याचिकाओं के साथ अनुलग्नक R-I के साथ संलग्न), शैक्षिक योग्यताओं के लिए निम्नानुसार अंक आवंटित किए गए थे:—

> "(a) अनिवार्य शैक्षिक योग्यता अर्थात् मिडल स्टैंडर्ड 33—45% अंक = 5
> 45—60% अंक = 7
> 60% से अधिक अंक = 10
>
> (b) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता 5 अंक मैट्रिक = 2
> 10+2 = 7
> B.A./B.Sc. = 5"

28. हालांकि, शैक्षिक योग्यताओं के लिए आवंटित अंक दिनांक 12 जनवरी, 2006 के पत्र के माध्यम से निरस्त कर दिए गए थे,— (तीनों रिट याचिकाओं में अनुलग्नक R-2)। 'ड्राइवरों के पदों के लिए उम्मीदवारों के परिणाम पत्रकों (सामान्य वर्ग) (अनुसूचित जाति वर्ग), (अन्य पिछड़ा वर्ग) (ESM सामान्य) और (ESM OBC) में सभी उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, यद्यपि प्रतिशत अंक कहीं भी रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। रोल नंबर 45, 83, 210 अर्थात् अशोक कुमार, यश पाल और करमवीर सिंह, क्रमशः, सामान्य वर्ग से संबंधित हैं, और वे बी.ए. हैं और उन्होंने पहले प्रयास में शारीरिक परीक्षा पास की थी। सिविल रिट याचिका संख्या 8276 में याचिकाकर्ता मोन अग्रोया, जो एक पिछड़ी जाति (रोल नं. 300) से संबंधित है, भी बी.ए. है और उन्होंने पहले प्रयास में शारीरिक परीक्षा पास की थी। कुलविंदर सिंह (रोल नं. 446), जो ESM सामान्य वर्गों से संबंधित है, वह भी स्नातक है। सभी वर्गों के अंतर्गत चुने गए किसी भी उम्मीदवार में से कोई भी बी.ए. नहीं है। यदि शैक्षिक योग्यताओं के लिए अंक निरस्त नहीं किए गए होते, तो उन्हें उनकी बी.ए. योग्यता के लिए प्रत्येक को 5 अंक मिले होते इसके अलावा अनिवार्य शैक्षिक योग्यता अर्थात् मिडल स्टैंडर्ड में प्राप्त प्रतिशत अंक के आधार पर उन्हें प्राप्त अंक भी। इसी तरह, जो विभिन्न उम्मीदवार चुने नहीं गए हैं, वे मैट्रिक और 10+2 की शैक्षिक योग्यता रखते हैं। मैट्रिक योग्यता वाले उम्मीदवारों से 2 अंक और 10+2 योग्यता वाले उम्मीदवारों से 3 अंक छीन लिए गए हैं। उन्होंने भी पहले प्रयास में शारीरिक परीक्षा पास की थी। संक्षेप में, यह सब दिखाता है कि चयन बिलकुल भी निष्पक्ष नहीं रहा है।

29. इस आरोप के संबंध में कि चयनित उम्मीदवारों की अधिकता उसी क्षेत्र की है जिससे कि नगर निगम, चंडीगढ़ के संयुक्त आयुक्त, जो कि चयन समिति के पांच सदस्यों में से एक थे, संबंध रखते हैं, हमने इन रिट याचिकाओं में पक्षों के ज्ञापन की समीक्षा की है। शक्ति सिंह, जसबीर सिंह, राकेश त्यागी, तरनजीत सिंह, राकेश कुमार, हरि केश, राकेश कुमार, मेहर सिंह (क्रमशः 2006 की सिविल रिट याचिका संख्या 8276 में प्रतिवादियों के नंबर 4,5, 6, 7, 11, 12, 14 और 17) पंजाब और हरियाणा के विभिन्न जिलों से

संबंध रखते हैं। हालांकि, सोहनजीत मोहन, तरजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, परदीप कुमार, जंग बहादुर और बलजीत सिंह (क्रमशः2006 की सिविल रिट याचिका संख्या 8276 में प्रतिवादियों के नंबर 8, 9, 10, 13, 15 और 16) एक ही जिला अर्थात् रोपड़ से संबंध रखते हैं। पहली नज़र में, हम यह मानने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि चयन समिति का एक सदस्य सभी अन्य सदस्यों को अपनी पसंद के व्यक्तियों का चयन करने के लिए प्रभावित कर सकता है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नगर निगम, चंडीगढ़ के संयुक्त आयुक्त, उन उम्मीदवारों की अपीलों को मंजूरी देने में सहायक थे जो शारीरिक परीक्षा में असफल रहे थे और बाद में चुने गए थे, जैसा कि सभी अपीलें उनके पास भेजी गई थीं, हमें कोई संकोच नहीं है कि चयन प्रक्रिया में विकृति आ गई है। यह समझ से बाहर है कि जिन उम्मीदवारों ने शारीरिक परीक्षा में असफलता प्राप्त की थी, उन्हें कैसे लगा कि वे संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, चंडीगढ़ के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जबकि इसके बारे में विज्ञापन (अनुबंध पी-1) में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था।

30. उपरोक्त वर्णित तथ्य और परिस्थितियां, निजी प्रतिवादियों के पूरे चयन को रद्द करने की आवश्यकता को सामने लाती हैं क्योंकि कई अचयनित उम्मीदवार, जो हमारे समक्ष याचिकाकर्ता नहीं हैं, को चयन समिति द्वारा चयन प्रक्रिया में उचित रूप से नहीं निपटाया गया था, जैसा कि उपरोक्त में वर्णित है।

31. परिणामस्वरूप, इन सभी रिट याचिकाओं को इस हद तक स्वीकारा जाता है कि प्रतिवादी-निगम के फायर विंग में ड्राइवर के रूप में निजी उत्तरदाताओं का चयन रद्द कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

निशा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

रेवाड़ी, हरियाणा